दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

कर्मचारी (आचरण) विनियम

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
विद्युत सदन, हिसार
हरियाणा

आमुख

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने निगम कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कर्मचारी (आचरण) विनियम बनाए हैं। इन विनियमों में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी इन विनियमों की पूरी ईमानदारी, निष्ठा और तत्परता के साथ पालना करेगा। वह अनुपालना करते हुए अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की कौताही नहीं बरतेगा व व्यवहार में भी वांछित मर्यादा बनाए रखेगा तथा जनता के सदस्यों, साथी और अधीनस्थ कर्मियों के साथ शिष्टता से व्यवहार करेगा।

ये विनियम अंग्रेजी भाषा में होने के कारण काफी कर्मचारी इसे पूर्ण रूप से समझने में अक्षम हैं और जानकारी के अभाव में भी निगम कर्मचारी अक्सर इन आचरण के विनियमों का उल्लघंन करते हैं। ऐसा करने पर उन्हें निगम या विहित प्राधिकरण की नाराजगी का सामना करना पड़ता है और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है।

इन कर्मचारी (आचरण) विनियमों का सरल भाषा में हिंदी अनुवाद कर श्री डी.पी.ढुल, चीफ कम्यूनिकेशनज ऑफिसर और हिंदी अनुवादक दलजीत सिंह और अभिषेक कुमार ने प्रशसंनीय कार्य किया है।

मैं समझता हूं कि इन विनियमों को पढ़कर/समझकर प्रत्येक निगम कर्मचारी इन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा, इन्हें अपने आचरण में ढालेगा, रिश्वत लेने, नैतिक अधमता, अनुशासन भंग होने जैसे कृत्यों से बच सकेगा तथा अच्छे आचरण का परिचय देते हुए निगम की साख और छवि को भी बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकेगा।

(मोहम्मद शाईन)
प्रबन्ध निदेशक,
द.ह.बि.वि.निगम, हिसार।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

कर्मचारी (आचरण) विनियम, 2006

अनुक्रमणिका

विनियम संख्या	विषय-वस्तु की तालिका	पृष्ठ संख्या
1 और 2	संक्षिप्त शीर्षक, आरम्भ और लागू होना	3 से 25 तक
3	परिभाषाएं	
4	सामान्य	
5	निगम संरक्षण वाले निजी उपक्रमों में निगम कर्मचारियों के निकट रिश्तेदारों को रोजगार	
6	उपहार	
7	दहेज	
8	निगम कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन	
9	योगदान	
10	निवेश, उधार देना और लेना	
11	चल,अचल और मूल्यवान सम्पत्ति	
12	भारत से बाहर अचल सम्पत्ति के निपटान और अधिग्रहण और विदेशियों के साथ लेन-देन आदि के सम्बन्ध में प्रतिबंध	
13	कम्पनियों के प्रबन्ध और संवर्धन	
14	निजी व्यापार या रोजगार	
15	निगम के बाहर आवेदन करने की अनुमति	
16	दीवाला या आर्थिक ऋणग्रस्तता	
17	सूचना का अनाधिकृत संचार	
18	गैर सरकारी की उपार्थना या अन्य प्रभाव	
19	प्रैस या रेडियो से जुड़ा होना	
20	निगम/प्रबन्धन की आलोचना	
21	अन्य किसी प्राधिकरण या समिति के समक्ष साक्ष्य	
22	चुनाव और राजनीति में भाग लेना	
23	निगम के कर्मचारियों के चरित्र और कृत्यों की पुष्टि	
24	निगम कर्मचारियों द्वारा संघो में शामिल होना	
25	प्रदर्शन और हड़तालें	
26	मादक पेय पदार्थों और दवाओं का सेवन	
27	द्वि-विवाह (दो पति रखने वाली या दो पत्नियां रखने वाला) विवाह/व्यभिचार	
28	केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों/नियमों का अधिभावी प्रभाव	
29	व्याज्या	
30	शक्तियों का प्रत्यायोजन	
31	निरसन और अपवाद	
परिशिष्ट -1		26
परिशिष्ट -2		27
परिशिष्ट -3		28
परिशिष्ट -4		29

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

अधिसूचना

22 अगस्त, 2006

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए निम्न विनियम बनाता है।

संक्षिप्त शीर्षक आरम्भ और लागू होना

1. (1) इन नियमों को ''दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कर्मचारी (आचरण) विनियम, 2006'' कहा जाए।

(2) ये तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

(3) विनियम -2 में प्रदत्त के अलावा, ये नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे,चाहे वे ड्यूटी पर हों, निलम्बित हों, छुट्टी पर हों या विदेशी सेवाओं में हों।

2. इन नियमों को सरकारी कर्मचारियों जिनकी सेवाओं को तत्कालीन पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से स्थानातंरित किया गया था, पर लागू नहीं होंगे।

परिभाषाएं

3. यदि इन विनियमों में कुछ भी विषय और संदर्भ के प्रतिकूल नहीं है :-

(1) ''निगम'' का अर्थ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है और इसमें उसके उत्तराधिकारियों और जिसको कार्य सौंपा गया है, को शामिल किया जाएगा।

(2) ''कर्मचारी'' से अभिप्राय निगम सेवाओं में कोई भी सदस्य और अनुबंध आधार पर निगम के रोजगार में शामिल कोई भी व्यक्ति है।

व्याख्या :- एक निगम कर्मचारी जिसकी सेवाओं को निगम द्वारा एक सरकारी कम्पनी, निगम, संगठन या स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण में रखा गया है, को निगम के अलावा अन्य स्रोतों से वेतन प्राप्त होने के बावजूद इन विनियमों के उद्देश्य के लिए निगम के तहत कार्यरत निगम का कर्मचारी समझा जाए।

(3) एक निगम कर्मचारी के ''परिवार के सदस्यों'' में शामिल है :-

(क) निगम कर्मचारी की पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, चाहे निगम कर्मचारी के साथ रहते हो या नहीं। लेकिन ऐसी पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, जो निगम कर्मचारी से डिक्री या सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा अलग हो गए हैं, इसमें शामिल नहीं है।

(ख) निगम कर्मचारी का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री जो पूरी तरह उस पर निर्भर हो। लेकिन ऐसा बच्चा या सौतेला बच्चा इसमें शामिल नहीं है जो किसी भी प्रकार से

निगम कर्मचारी पर अब निर्भर नहीं है या उसका संरक्षण करने से निगम कर्मचारी किसी कानून द्वारा या के तहत वंचित कर दिया गया है।

(ग) कोई अन्य दूसरा व्यक्ति जो चाहे खून से या शादी से निगम कर्मचारियों या उसकी पत्नी या पति के रिशते में है और पूरी तरह निगम कर्मचारी पर निर्भर है।

(4) 'विहित प्राधिकरण' का मतलब है वह प्राधिकरण जिसे इन विनियमों के विनियम संज़्या-11 के स्पष्टीकरण-। में परिभाषित किया गया है।

नोट :-

1. इन नियमों की कोई भी अभिव्यक्ति पुल्लिंग में की गई है वहां स्त्रीलिंग भी शामिल होंगे।
2. एकवचन संज़्या के महत्वपूर्ण शब्दों को बहुवचन संज़्या में और इसके विपरीत शामिल किया जाएगा।

<u>सामान्य</u>

4. (1) प्रत्येक निगम कर्मचारी हर समय करेगा :-

1. पूरी ईमानदारी, निष्ठा और तत्परता के साथ अपने कर्त्तव्यों का पालन और कार्य निर्वहन करेगा।
2. कर्त्तव्यों के प्रति सर्मपण और पूर्ण अखण्डता बनाए रखेगा।
3. अपने सरकारी व्यवहार में वांछित मर्यादा रखेगा और जनता के सदस्यों, सहयोगियों और अधीनस्थ कर्मियों के साथ शिष्टता से व्यवहार करेगा।
4. ऐसा कुछ नहीं करेगा जो एक निगम/जनसेवक के लिए अनउपयुक्त हो।
5. कार्य पर समयनिष्ठ बनें। एक कर्मचारी कार्य के निर्धारित घंटों के दौरान अपने उचित कार्यस्थल पर उपस्थित दर्ज करने के बाद भी, सक्षम प्राधिकरण उपयुक्त समझे तो अनुपस्थित माना जाए और उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का दायी होगा।
6. वह निगम द्वारा जारी नोटिस का उत्तर/प्राप्ति तथा निगम द्वारा उसके पते पर किए गए संचार को वांछित सज़्मान देगा।
7. निगम द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों/निर्देशों को लागू करेगा ।
8. अपने परिवार अर्थात कानून विवाहित पति या पत्नी और आश्रित बच्चे तथा माता-पिता की विधिवत् देखभाल करना।

9. किसी भी अकेले या दूसरों के साथ संयोजन में अवज्ञा या किसी वरिष्ठ की वैध और उचित आज्ञा के उल्लघंन में शामिल नहीं होगा ।

10. जानबूझकर नियोक्ता की संपत्ति के नुकसान या क्षति का कारण नहीं बनेगा।

11. रिश्वत लेने या देने या अवैध पारितोषण या उसके किसी प्रलोभन में संलिप्त नहीं होगा।

12. प्रतिष्ठान के लिए लागू किसी कानून के उल्लघंन का अज़्यस्त नहीं होना चाहिए।

13. कभी भी कार्य की घोर लापरवाही या लापरवाही का अज़्यस्त होने का दोषी नहीं होगा।

14. इच्छा से व जानबूझकर कार्य की गति धीमी करने या दूसरों को कार्य धीमा करने के लिए उकसाने में संलप्ति नहीं होगा।

15. नैतिक अधमता वाले अपराध के लिए कानून की अदालत द्वारा अपराधी करार दिया हुआ नहीं होगा।

नोट :- यदि कर्मकार को बाद में कानून की अदालत से बरी कर दिया जाता है, उसे बहाल कर दिया जाएगा।

16. हिंसात्मक या भड़काने वाले उपदेश, जिससे प्रतिष्ठान की सुरक्षा को खतरे की सज़्भावना हो, नहीं देगा।

17. प्रतिष्ठान में स्थापित किसी भी सुरक्षा उपकरणों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ नहीं करेगा।

18. निश्चयात्मक कारणों के बिना एयर-रेड सावधानियों और प्राथमिक चिकित्सा सहायता के प्रशिक्षण पर जाने से मना नहीं करेगा।

19. नौकरी या मशीन जो उसे सौंपी गई है उस पर कार्य करने से मना नहीं किया जाएगा।

20. झूठी अफवाह फैलाने और झूठी जानकारी देने या मान हानिकारक वक्तव्य (मौखिक या लिखित) नहीं करेगा जिससे प्रबन्धन और उसके अधिकारियों की बदनामी हो।

21. रोजगार के समय नाम, पिता का नाम, आयु, योग्यता, पिछला अनुभव, पिछली बर्खास्तगी, पिछली सजा आदि के बारे में झूठी जानकारी नहीं देगा।

22. सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

23. अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों, प्रशासनिक निर्देशों/किसी भी प्रकार के नियमों/विनियमों का उल्लघंन नहीं करेगा।

24. नियोक्ता के परिसर पर हिंसा में शामिल नहीं होगा।

25. अधिकारियों और सहकर्मचारियों से गाली-गलौच नहीं करेगा।

26. कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाएगा जिससे अनुशासन भंग होने की सज़्भावना हो।

27. मामूली गलत आचरण को दोहराएगा नहीं।

28. जनता/साथी अधिकारियों के यौन उत्पीड़न में शामिल नहीं होगा।

(2) प्रत्येक पर्यवेक्षी पदधारी निगम कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कदम उठाएगा कि उसके नियंत्रण और प्राधिकरण के तहत व उस समय के दौरान, प्रत्येक कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों के प्रति समर्पित और निष्ठावान रहे।

<u>निगम संरक्षण वाले निजी उपक्रमों में निगम कर्मचारियों के निकट रिश्तेदारों को रोजगार</u>

5. (1) कोई भी निगम कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए किसी निजी उपक्रम में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्थिति या प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा।

(2) I) निगम की पूर्व मंजूरी के अलावा, कोई भी श्रेणी-। अधिकारी अपने पुत्र, पुत्री या अन्य आश्रित को, ऐसे किसी उपक्रम जिसके साथ उसका या निगम का व्यवहार है, में रोजगार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

किन्तु जहां रोजगार की स्वीकृति निगम की पूर्व अनुमति की प्रतीक्षा नहीं कर सकती है या अन्यथा मामला जरूरी समझा जाता है तो निगम को सूचित किया जाएगा और रोजगार को अनंतिम तौर पर निगम की बाद में अनुमति मिल जाने की शर्त पर स्वीकार किया जा सकता है।

II) एक निगम कर्मचारी किसी भी निजी उपक्रम में अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा रोजगार स्वीकार करने की जानकारी मिलते ही इसके बारे में जल्द से जल्द विहित प्राधिकरण को सूचित करेगा और यह भी सूचित करेगा कि उसका उस उपक्रम से किसी भी प्रकार का व्यवहार है या रहा है।

किन्तु ऐसी कोई सूचना श्रेणी-। अधिकारी के मामले में आवश्यक नहीं होगी। यदि उसने पहले ही खंड (I) के तहत स्वीकृति प्राप्त कर ली है या निगम को एक रिपोर्ट भेज दी है।

III) कोई निगम कर्मचारी अपने सरकारी कर्त्तव्यों के निर्वहन में किसी संस्थान या अन्य किसी उपक्रम या अन्य किसी व्यक्ति को अनुबंध नहीं देगा या करेगा या उसके किसी मामले में कार्य नहीं करेगा। यदि उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त उपक्रम या उक्त व्यक्ति के अधीन रोजगार युक्त है या यदि वह या उसके परिवार का कोई सदस्य अनुबंध के मामले में किसी अन्य तरीके से रूचि रखता है तो निगम कर्मचारी प्रत्येक ऐसे मामले या अनुबंध की रिपोर्ट

अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजेगा तथा उसके बाद मामला या अनुबंध करेगा। उसके बाद जो संदर्भ बनता है, उसका निपटान प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

उपहार

6. (।) इन नियमों में अन्यथा किए गए प्रावधान के अलावा कोई निगम कर्मचारी कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को स्वीकार करने की अनुमति देगा।

व्याज़्या :

मुफ्त परिवहन, बोर्डिगं आवास या अन्य सेवा या अन्य कोई आर्थिक लाभ जब किसी एक नजदीकी रिश्तेदार या निजी मित्र जिसका निगम कर्मी से कोई सरकारी व्यवहार न हो, के अलावा किसी व्यक्ति से प्राप्त की जाती है तो व्यंजक 'उपहार' में शामिल होगी।

नोट :-

।. एक आकस्मिक भोजन, लिज़्ट या अन्य सामाजिक आतिथ्य एक उपहार नहीं समझा जाएगा।

2. एक निगम कर्मचारी को औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्मों, संस्थानों आदि से या उसके साथ सरकारी व्यवहार रखने वाले अत्यधिक या अतिव्ययी आतिथ्य स्वीकार करने से बचना होगा।

(2) शादी, जन्मदिन, वर्षगांठ, अंतिम संस्कार या परिवार/धार्मिक कार्यो जैसे अवसरों पर जब एक उपहार धार्मिक या सामाजिक प्रथा केअनुरूप प्रचलित है तो एक निगम कर्मचारी अपने निकट रिश्तेदारों से या अपने निजी मित्रों से, जिसका उसके साथ कोई सरकारी व्यवहार नहीं है, से उपहार स्वीकार कर सकता है परन्तु वह निगम को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा यदि ऐसे किसी उपहार की कीमत निज़्न से अधिक है :-

(।) श्रेणी- 1 या श्रेणी-2 के निगम कर्मचारी के मामले में, 25,000/- रूपये

(।।) निगम कर्मचारी श्रेणी-3 या श्रेणी-4 के पद होने के मामले में, 10,000/- रूपये ; तथा

(3) अन्य किसी भी मामले में निगम कर्मचारी कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को और न ही उसकी ओर से अन्य

व्यक्ति को निगम की स्वीकृति के बिना कोई उपहार स्वीकार करने की अनुमति देगा। यदि उसका मूल्य इससे अधिक है :-

(।) श्रेणी- 1 या श्रेणी-2 के निगम कर्मचारी के मामले में, 1000/- रूपये

(।।) निगम कर्मचारी श्रेणी-3 या श्रेणी-4 के पद होने के मामले में, 500/- रूपये ;

<u>दहेज</u>

7 (।) प्रत्येक अविवाहित निगम कर्मचारी निगम सेवा में प्रवेश के समय एक घोषणा प्रस्तुत करेगा, प्रपत्र परिशिष्ट -। के रूप में संलग्न है ;

(क) कि वह दहेज न लेगा और न देगा व इसके लेने या देने को बढ़ावा नहीं देगा या ।

(ख) दूल्हे या दूल्हन के संरक्षकों या माता-पिता से सीधे दहेज की कोई मांग नहीं करेगा।

(।।) प्रत्येक निगम कर्मचारी अपने विवाह के बाद परिशिष्ट-।। के अनुसार अपने विभागाध्यक्ष को उसके द्वारा दहेज की गैर-स्वीकृति के सञ्बन्ध में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।

<u>व्याज़्या</u>

इस विनियम के प्रयोजनों के लिए 'दहेज' का अर्थ वहीं होगा जो दहेज निषेध अधिनियम-1961 (1961 का 28) में है।

''दहेज निषेध अधिनियम-1961 से सार

(1961 का 28)

धारा-2 : 'दहेज' की परिभाषा - इस अधिनियम में दहेज का अर्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी सज़्ात्ति या मूल्यवान कागज (सेक्यूरिटी) देना या देने के लिए सहमत होना है।

(क) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को या

(ख) विवाह के समय पहले या बाद में उक्त पक्षों के विवाह को ध्यान में रखकर विवाह के किसी पक्ष के माता-पिता द्वारा या विवाह के किसी पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्ष के माता-पिता या विवाह के उस पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति को ; किन्तु जिन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) लागू है, के मामले में दहेज या महर शामिल नहीं है।

व्याज़्या: संदेहो को हटाने के लिए, यह एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि किसी भी विवाह के समय विवाह के किसी भी पक्ष को नकद, गहने, कपड़े या अन्य वस्तुएं भेंट में देना इस धारा के अर्थ के अनुसार दहेज नहीं समझा जाएगा जब तक कि वे उक्त पक्षों के विवाह को माध्यम में रखकर नहीं दिए गए हैं।

निगम कर्मचारियों के सज़्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन

8. निगम की पूर्व स्वीकृति के अलावा कोई निगम कर्मचारी अपने या किसी दूसरे निगम कर्मचारी के सज़्मान में स्वस्तिवाचनक या प्रशंसा व्याज़्यान या प्रशंसा पत्र नहीं देगा या उसके या अन्य निगम कर्मी के सज़्मान में आयोजित किसी बैठक या सत्कार में शामिल नहीं होगा।

किन्तु इस विनियम में उपलब्ध कुछ भी निज़्न में लागू नहीं होगा :-

(।) एक निगम कर्मचारी या किसी दूसरे निगम कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण या कोई व्यक्ति जो हाल ही में सेवा परित्यक्त हुआ है, के सज़्मान में आयोजित काफी निजी और अनौपचारिक विदाई सत्कार।

(।।) सार्वनजिक निकायों या संस्थानों द्वारा सादे और कम खर्चीले सत्कार स्वीकार करना।

नोट :

किसी भी निगम कर्मचारी पर किसी विदाई सत्कार में शामिल होने, चाहे वह आयोजन काफी निजी या अनौपचारिक क्यों न हो, के लिए योगदान देने के लिए और श्रेणी-3 और 4 के कर्मचारियों से इन श्रेणियों से असज़्बन्ध किसी भी कर्मचारी के सत्कार के लिए योगदान एकत्र करना वर्जित है।

योगदान

9. विहित प्राधिकरण या निगम की पूर्व स्वीकृति के अलावा कोई कर्मचारी कोई योगदान न तो मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा या अन्यथा अपने आपको किसी फंड या अन्य नकद किसी भी वस्तु के रूप में किसी भी उद्देश्य के लिए एकत्र करने में शामिल नहीं होगा।

निवेश, उधार देना और लेना

10. (1) कोई भी निगम कर्मचारी लाभ की आशा से किसी भी शेयर, स्टॉक में या अन्य निवेश नहीं करेगा।

व्याज़्या : शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेश दोनों की ही खरीद या बिक्री एक महीने में दस से अधिक लेन-देन; इस उपविनियम में सट्टेबाजी समझा जाएगा।

(2) कोई भी निगम कर्मचारी न स्वयं या न अपने परिवार के किसी सदस्य या अन्य किसी व्यक्ति को अपनी ओर से निवेश की अनुमति देगा जो उसके सरकारी कर्त्तव्य के निर्वहन को प्रभावित या बाधित करता हो।

(3) किसी भी लेन-देन के सज़्बन्ध में यदि कोई प्रश्न उठता है कि वह उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रकृति है या नहीं तो निगम का निर्णय अंतिम होगा।

4. (।) कोई निगम कर्मचारी या तो स्वयं या अपने किसी परिवार के सदस्य या उसकी ओर से काम कर रहे अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी बैंक या पब्लिक लिमिटेड कज़्पनी के साथ व्यापार के सामान्य क्रम में संचय नहीं करेगा;

(क) एक एजेंट या एक प्रमुख के रूप में या उससे या उसके साथ किसी व्यक्ति या फर्म या प्राधिकरण की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्राईवेट लिमिटेड कज़्पनी या जिसके साथ सरकारी व्यवहार की सज़्भावना है या किसी भी आर्थिक दायित्व के अधीन ऐसे व्यक्ति या फर्म या प्राईवेट लिमिटेड कज़्पनी से उधार देना या उधार लेना या पैसे जमा कराना; या

(ख) किसी भी व्यक्ति को ब्याज पर या ऐसे तरीके से, जिसके तहत धन या वस्तु वसूली पर दी जाती हो, धन उधार देना;

परन्तु निगम कर्मचारी एक रिश्तेदार या एक व्यक्तिगत मित्र से शुद्ध रूप से एक छोटी राशि बिना ब्याज के अस्थायी ऋण या एक वास्तविक महाजन के साथ एक क्रेडिट खाते का संचालन या उसके निजी कर्मचारी को अग्रिम वेतन दे सकता है या स्वीकार कर सकता है।

किन्तु निगम की पूर्व स्वीकृति के उपरांत निगम कर्मचारी द्वारा किए गए किसी लेन-देन के सम्बन्ध में इस उपविनयम में से कुछ भी लागू नहीं होगा।

(।।) जब एक निगम कर्मचारी की नियुक्ति या स्थानांतरण एक ऐसी प्रकृति के पद पर होती है जहां वह उपविनयम (2) या उपविनयम (4) के प्रावधानों के उल्लघंन में संलिप्त हो जाता है तो वह विहित प्राधिकरण को तत्काल परिस्थितियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट करेगा और उसके बाद प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कार्य करेगा।

चल, अचल और मूल्यवान सम्पत्ति

11 (1) (।) प्रत्येक निगम कर्मचारी किसी भी सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर अपनी सम्पत्ति और देनदारियों की रिर्टन प्रस्तुत करेगा। इन विनियमों में संलग्न परिशिष्ट-3 और 4 के रूप में निम्न से सम्बन्धित पूर्ण विवरण देगा :-

(क) उसे अचल सम्पत्ति विरासत में मिली है या स्वामित्व या उसके द्वारा अधिग्रहण या उसके द्वारा पट्टे पर अर्जित या गिरवी या उसके स्वयं के नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम या दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के नाम है।

(ख) उसे विरासत में मिली या उसी प्रकार उसके अपने स्वामित्व में स्वयं द्वारा अर्जित या स्वयं के पास शेयर ऋण पत्र तथा बैंक में जमा सहित नकदी।

(ग) दूसरी चल सम्पत्ति जो उसके स्वामित्व या उस द्वारा अधिग्रहण या उसके द्वारा अर्जित की गई है; और

(घ) प्रत्यक्ष या प्ररोक्ष रूप से उस द्वारा लिए गए अन्य देनदारियां या ऋण

नोट :-

1. आमतौर पर उपविनियम (1)श्रेणी-4 कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा लेकिन निगम ऐसे किसी भी कर्मचारी या ऐसे निगम कर्मचारियों की श्रेणी पर लागू करने के निर्देश दे सकता है।
2. सभी रिर्टनों में यदि चल सम्पत्ति की वस्तुओं का मूल्य दो हजार रूपये से कम है तो उन्हें जोड़कर एकमुश्त राशि के रूप में दिखाया जा सकता है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कपड़े, बर्तन, क्राकरी और पुस्तकों आदि का मूल्य ऐसे रिटर्न में शामिल करना आवश्यक नहीं है।

3. जहां एक निगम कर्मचारी पहले से किसी सेवा से सज़्बन्धित है या किसी पद पर कार्यरत है, को किसी दूसरी सेवा या पद पर नियुक्त किया गया है, उसे इस खंड के अन्तर्गत नई रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(।।) निगम में किसी भी सेवा से सज़्बन्धित प्रत्येक निगम कर्मचारी भी उपरोक्त खंड (1) में निर्धारित प्रपत्र में एक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा जिसमें वह अचल सज़्पत्ति विरासत में मिली है या स्वामित्व, अधिग्रहण या अर्जित की गई है या उसके द्वारा पट्टे पर या गिरवी है और जो उसके स्वयं के नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम या दूसरे किसी व्यक्ति के नाम है, का पूर्ण ब्यौरा देगा।

(2) विहित प्राधिकरण के संज्ञान को छोड़कर, निगम कर्मचारी किसी अचल सज़्पत्ति, जो उसके स्वयं के नाम उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम है, का निपटान या अधिग्रहण, पट्टे पर, गिरवी, खरीद, बिक्री उपहार द्वारा नहीं करेगा।

बशर्ते कि निगम कर्मचारी द्वारा विहित प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। यदि ऐसा कोई निज़् लेन-देन है:-

(।) ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका निगम कर्मचारी के साथ सरकारी लेन-देन है; या

(।।) किसी नियमित प्रतिष्ठित डीलर के माध्यम के अलावा किया गया है

(3) जहां एक निगम कर्मचारी ऐसी चल सज़्पत्ति के सज़्बन्ध में लेन-देन में प्रविष्ठ होता है जो उसके स्वयं के नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम है तो वह ऐसे लेन-देन की तिथि से एक महीने के भीतर विहित प्राधिकरण को रपोर्ट करेगा। यदि श्रेणी-। या श्रेणी-।। पद के निगम कर्मचारी के मामले में ऐसी सज़्पत्ति का मूल्य 50000/- रूपये से ज्यादा तथा श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के पद के एक निगम कर्मचारी के मामले में 25000/- रूपये से ज्यादा है।

किन्तु यदि कोई लेन-देन निज़् प्रकार का है तो निगम कर्मचारी द्वारा विहित प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी :-

(।) ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका निगम कर्मचारी के साथ सरकारी लेन-देन है; या

(।।) किसी नियमित प्रतिष्ठित डीलर के माध्यम के अलावा किया गया है

(4) निगम या विहित प्राधिकरण किसी भी समय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निगम कर्मचारी को आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी चल या अचल सज़्पत्ति जो उसके द्वारा या उसकी ओर से या उसके परिवार के किसी सदस्य, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, द्वारा अधिग्रहित या अर्जित की गई है, का एक पूर्ण वक्तव्य देने को किसी समय भी कह सकता है ऐसे वक्तव्य में यदि निगम या विहित प्राधिकरण द्वारा पूछा गया है, में ऐसी सज़्पत्ति के अधिग्रहण के स्रोत या माध्यम भी शामिल होगा।

(5) उपविनियम (4) के अलावा निगम इस विनियम के प्रावधानों में श्रेणी-3 या श्रेणी-4 से सज़्बन्धित निगम कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी को छूट दे सकता है।

<u>व्याज़्या -1</u>

इस विनियम के उद्देश्यों के लिए :-

(।) अभिव्यक्ति''चल सज़्पत्ति'' में शामिल है :-

(क) आभूषण, बीमा पॉलिसियां जिनका वार्षिक प्रीमियम 15000/- रूपये से अधिक है या शेयरों, प्रतिभूतियों और ऋणपत्रों से या निगम से प्राप्त कुल वार्षिक वेतन का छठा भाग, जो भी कम हो।

(ख) ऐसे निगम कर्मचारियों द्वारा लिए गए अग्रिम ऋण चाहे वो सुरक्षित है या नहीं।

(ग) मोटर कारें, मोटर साईकिलें, स्कूटर, साईकिल, घोड़े या यात्रा का कोई अन्य साधन ; और

(घ) फ्रिज, टेलिविजन सेट, संगीत सिस्टम, कज़्यूटर, मोबाईल फोन, माइक्रोवेव ओवन, हस्तचलित/कैमरा चाहे डिजिटल हो या दूसरे इलैक्ट्रिक या इलैक्ट्रोनिक उपकरण/गैजेट आदि जिसका मूल्य 10000/- रूपये प्रति से ज्यादा हो।

(2) ''विहित प्राधिकरण '' का अर्थ है:-

(क)(।) जहां निगम द्वारा किसी निज़ प्राधिकरण को विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया हो के अलावा श्रेणी-। के अधिकारी के मामले में 'निगम'

(।।) श्रेणी-।। अधिकारी के मामले में, विभाग का प्रमुख (एच.ओ.डी.)

(।।।) श्रेणी-3 या श्रेणी-4 के पद वाले कर्मचारी के मामले में, कार्यालय का प्रमुख (एच.ओ.ओ.)

(ख) विदेशी सेवा में या दूसरे किसी निगम में प्रतिनियुक्ति आदि पर गए कर्मचारी

के मामले में उपरोक्त (।) (।।) और (।।।) में उल्लेखित सज़्बन्धित प्राधिकरण ।

<u>व्याज़्या-2</u>

इस विनियम के प्रयोजनों के लिए 'पट्टा' का अर्थ है ऐसे लेने या देने जो ऐसे व्यक्ति से हुआ हो, जिसका निगम कर्मचारियों के साथ सरकारी व्यवहार है, को छोड़कर, अचल सज़्पत्ति का एक वर्ष से वर्ष तक या किसी शर्त पर एक वर्ष से अधिक या वार्षिक किराए पर आरक्षित 'पट्टा' कहां से प्राप्त किया है?

<u>भारत से बाहर अचल सज़्पत्ति के निपटान और अधिग्रहण और विदेशियों के साथ लेन-देन आदि के सज़्बन्ध में प्रतिबंध</u>

12 विनियम-11 के उपविनियम (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद विहित प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई निगम कर्मचारी :-

(क) भारत से बाहर स्थित कोई भी अचल सज़्पत्ति जो उसके स्वयं के नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम है, की खरीद, उपहार, पट्टा, गिरवी या अधिग्रहण नहीं करेगा।

(ख) भारत से बाहर स्थित किसी भी अचल सज़्पत्ति के सज़्बन्ध में जो उसके द्वारा अर्जित की गई है या अधिग्रहित है, जो उसके स्वयं के नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम है, किसी पट्टे का दान, उपहार, गिरवी या बिक्री द्वारा निपटान नहीं करेगा।

(ग) विदेशी संगठन या सज़्बन्धित विदेशी सरकार या विदेशियों के साथ किसी भी लेन-देन में शामिल नहीं होगा जैसे :-

(।) कोई भी अचल सज़्पत्ति या तो उसके स्वयं के नाम है या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम है, का पट्टा, गिरवी, उपहार, अधिग्रहण या खरीद द्वारा निपटान ।

(।।) किसी अचल सज़्पत्ति के सज़्बन्ध में जिसका अधिग्रहण किया गया था या उसके द्वारा अर्जित की गई थी चाहे उसके स्वयं के नाम है या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम है, का किसी पट्टे पर देना, उपहार या बिक्री द्वारा निपटान।

व्याज़्या

इस विनियम में 'विहित प्राधिकरण' का अर्थ विनियम-।। में दिए गए के समान है।

कज़्ानियों का प्रबन्धन और संवर्धन

13. निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई निगम कर्मचारी किसी बैंक या कज़्ानी के संवर्धन, पंजीकरण या प्रबन्धन में भाग नहीं लेगा।

किन्तु एक निगम कर्मचारी निगम के किसी सामान्य या विशेष आदेश के प्रावधान के अनुसार सहकारी समिति अधिनियम (1912 का 11) या राज्य के किसी सामान्तर कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति के संवर्धन, पंजीकरण या प्रबन्धन में भाग ले सकता है।

निजी व्यापार या रोजगार

14. (।) कोई निगम कर्मचारी निगम की पूर्व स्वीकृति के अलावा किसी भी व्यापार या कारोबार, परक्रामण में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या कोई दूसरा रोजगार नहीं होगा।

परन्तु एक निगम कर्मचारी स्वीकृति के बिना ऐसा कर सकता है :-

1. एक सामाजिक या धर्मार्थ प्रकृति का अवैतनिक कार्य कर सकता है; या
2. एक साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक चरित्र के अवसरानुकूल कार्य कर सकता है; या
3. खेल गतिविधियों में शौकिया खिलाड़ी के रूप में भाग ले सकता है।

इन सभी मामलों में यह शर्त होगी कि इससे उसके सरकारी कर्तव्य प्रभावित नहीं होते हों। यदि निगम ने ऐसे निर्देश दिए हैं तो वह इस तरह के कार्य या गतिविधि नहीं करेगा या बंद नहीं करेगा।

व्याज़्या

निगम कर्मचारी द्वारा किसी बीमा एजेंसी, कमीशन एजेंसी आदि जो उसकी पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य की है या उसके द्वारा उसका प्रबन्धन किया जा रहा है, के व्यापार के समर्थन में प्रचार करना, इस विनियिम का उल्लघंन समझा जाएगा।

(2) यदि निगम कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य एक व्यापार या व्यवसाय में शामिल है या वह स्वयं एक बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी का मालिक है या प्रबन्धन करता है तो प्रत्येक निगम कर्मचारी निगम को रिपोर्ट करेगा।

(3) कोई निगम कर्मचारी निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना और अपने सरकारी कर्त्तव्यों के निर्वहन के अलावा किसी बैंक या अन्य कज़्पनी के वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे सहकारी समिति के संवर्धन, पंजीकरण या प्रबन्धन में भाग नहीं लेगा जिसकी अधिनियम, 1956 (1956 की 1) या तत्समय प्रवृत्त के लिए किसी दूसरे कानून के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता है।

किन्तु एक निगम कर्मचारी निज़्न के संवर्धन, पंजीकरण या प्रबन्धन में भाग ले सकता है :-

(1) समिति पंजीकरण अधिनियम-1860 (1860 की 21) या कज़्पनी अधिनियम-1956 या तत्समय प्रवृत्त के लिए अन्य किसी कानून के तहत पंजीकृत एक साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ सोसायटी या एक कज़्पनी, क्लब या इसी तरह का संस्थान है जिसका उद्देश्य और लक्ष्य खेल, सांस्कृतिक या मंनोरजन गतिविधियों को बढ़ावा देने से सज़्बन्धित है।

(।।) एक सहकारी समिति जो काफी हद तक निगम कर्मचारियों के लाभ के लिए है और सहकारी समिति अधिनियम-1912 (1912 की 2)या तत्समय प्रवृत के लिए किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत है।

4. कोई निगम कर्मचारी विहित प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना या जब तक निगम द्वारा कोई सामान्य या विशेष आदेश न हो, किसी निजी या सार्वजनिक निकायों या अन्य किसी निजी या सार्वजनिक निकायों या किसी निजी व्यक्ति से उसके द्वारा किसी कार्य करने के लिए कोई शुल्क स्वीकार नहीं कर सकता।

<u>व्याज़्या</u>

यहां इस्तेमाल शब्द 'शुल्क' का अर्थ वहीं है जो पंजाब सी.एस.आर. वोल्यूम-1, भाग-1 के नियम 2.18 में दिया गया है (इसी रूप में हरियाणा में लागू है)

<u>निगम के बाहर आवेदन करने की अनुमति</u>

15. कोई भी निगम कर्मचारी विहित प्राधिकरण या निगम की विशेष अनुमति के बिना निगम से बाहर किसी भी पद के लिए आवेदन या नौकरी नहीं मांगेगा।

दीवाला या अज़्यस्त ऋण ग्रस्तता

16. एक निगम कर्मचारी को अज़्यस्त ऋण ग्रस्तता से बचना होगा । यदि एक कर्मचारी दिवालिया घोषित है या उसके वेतन का पूरा भाग ऋण के लिए जब्त हुआ है, के लिए अक्सर उत्तरदायी है या लगातार दो साल से अधिक अवधि के लिए जब्त हुआ है या साधारण परिस्थितियों में भी ऋण की राशि दो वर्ष की अवधि के भीतर नहीं चुका सकता, वह इस विनियम की अवहेलना करने वाला प्रकल्पित किया जाएगा। उसको ऐसा समझने की जरूरत नहीं है यदि वह साबित करता है कि साधारण परिश्रम के बावजूद भी परिस्थितियों के परिणामतय: वह दिवाला या ऋण ग्रस्त हालत में है और ऐसा उसकी फिजूलखर्ची या छितरायी आदतों पर अंकुश न लगाने या सोचने के कारण नहीं हुआ। एक निगम कर्मचारी जो दिवालिया के लिए आवेदन करता है या विनिर्णित या घोषित किया जाता है, को अपने दिवालिया होने की रिपोर्ट तत्काल विहित प्राधिकरण को करनी होगी और इस सज़्बन्ध में उसी तरह की एक रिपोर्ट निगम कर्मचारी द्वारा ऋण निपटान बोर्ड को किए जाने वाले आवेदन के लिए भी आवश्यक होगी।

सूचना का अनाधिकृत संचार

17. निगम के किसी भी सामान्य या विशेष आदेश या उसकी विश्वसनीयता पर सौंपे गए कर्त्तव्यों के अलावा कोई निगम कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी सरकारी दस्तावेजों या उसके किसी भाग का किसी निगम कर्मचारी से या अन्य किसी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों की सूचना का संचार नहीं करेगा, जब तक वह इसके लिए अधिकृत न हो।

व्याज़्या

एक निगम कर्मचारी द्वारा (कार्यालय के प्रमुख को या निगम के विभाग के प्रमुख को उसके प्रस्तुतीकरण में) उद्धरण या किसी पत्र, परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन या किसी फाईल पर लिखे नोट जिस तक पहुंच रखने के लिए वह अधिकृत नहीं है, या उसको अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए अपने पास रखने को इस विनियम में सूचना और संचार का अनाधिकृत उपयोग माना जाएगा।

गैर- सरकारी की उपार्थना या अन्य प्रभाव

18. कोई निगम कर्मचारी अपनी सेवाओं को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक संगठन से दूसरे संगठन में स्थानातंरण के लिए या निगम के अन्तर्गत अपनी सेवा की उपयुक्त रूचि के सज्बनध में अपनी वरिष्ठ प्राधिकरण को प्रभावित करने के लिए कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं लाएगा या लाने की कोशिश नहीं करेगा।

प्रैस या रेडियो से जुड़ा होना

19. (।) निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई निगम कर्मचारी किसी समाचार-पत्र या अन्य आवधिक प्रकाशन का स्वामित्व नहीं रखेगा और उसके पूरे या भाग में सज़ादन या प्रबन्धन नहीं करेगा या में भाग नहीं लेगा।

(।।) निगम या विहित प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के अलावा या उसके कर्त्तव्यों के वास्तविक निर्वहन को छोड़कर कोई निगम कर्मचारी निज़ कार्य नहीं करेगा:-

(क)प्रकाशक के माध्यम से या स्वयं एक पुस्तक प्रकाशित करना या किसी पुस्तक के लिए लेख का संकलन या लेख में योगदान करना; या

(ख) रेडियो प्रसारण में भाग लेने या एक लेख में योगदान या एक समाचार-पत्र या अवधिक प्रकाशन के लिए पत्र लिखना चाहे वह अपने स्वयं के नाम या गुमनाम, कल्पित नाम या अन्य किसी व्यक्ति के नाम से हो।

किन्तु निज़ मामलों में ऐसी कोई स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी :-

(।) यदि ऐसा कोई भी प्रकाशन एक प्रकाशक के माध्यम से हो और एक विशुद्ध साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का है; या

(।।) यदि ऐसा प्रसारण,योगदान या लेखन एक विशुद्ध साहित्यिक,कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का है।

3 निगम का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी भ्रष्ट आचरण में दोषी पाया जाता है; चाहे ऐसा वीडियों रिकॉर्डिग/स्टिंग ऑप्रेशन के आधार पर पाया गया हो तो उसे तुरंत निलंबित किया जाएगा और ऐसी सी.डी. की रिकॉर्डिग सही पाई जाती है तो सज़न्धित भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी को बिना किसी जांच के निगम की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

सी.डी.की वास्तविकता का निर्णय महाप्रबन्धक (एच.आर/एडमन) सञ्ब्न्धित अधीक्षक अभियंता और सदस्य सचिव के रूप में अधीक्षक अभियंता (वाणिज्यिक) की एक समिति द्वारा लिया जाएगा कार्यालय सञ्ब्न्धित अधिकारी को सुनवाई का एक अवसर देगा। उनकी रिपोर्ट पर बगैर जांच प्रक्रिया किए सीधे बर्खास्तगी का आदेश जारी किया जा सकता है।

<u>निगम/प्रबन्धन की आलोचना</u>

20. कोई निगम कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या अपने नाम, गुमनाम या कल्पित नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित दस्तावेज में या प्रैस के साथ किसी संचार में या किसी सार्वजनिक बातचीत में, ऐसा तथ्य आधारित ब्यान या विचार व्यक्त नहीं करेगा:-

(।) जो सरकार या निगम के किसी भी वर्तमान या हाल ही की नीति या कार्रवाई पर प्रतिकूल आलोचनात्मक प्रभाव डालता हो या एक अपमानजनक प्रकृति के आरोप या आक्षेप लगाने के बराबर है या किसी निगम कर्मचारी को उसके कर्त्तव्य निर्वहन में कुछ किए गए या प्रस्तावित के सञ्ब्न्ध में धमकाने तुल्य हो।

(।।) जो निगम तथा सरकार के बीच सञ्ब्न्धों में बाधा डालने वाला है।

(।।।) जो सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के बीच सञ्ब्न्धों में बाधा डालने वाला है।

किन्तु निगम कर्मचारी द्वारा उसको सौंपे गए कर्त्ताव्यों के निर्वहन में या उसकी अधिकारिक क्षमता में अभिव्यक्त विचारों या दिए गए वक्तव्य पर यह विनियम लागू नहीं होगा।

<u>समिति या अन्य किसी प्राधिकरण के समक्ष साक्ष्य</u>

21. (।) उपविनियम (3) में प्रावधानों के अलावा निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई निगम कर्मचारी किसी भी व्यक्ति,समिति या प्राधिकरण द्वारा आयोजित जांच के सञ्ब्न्ध में साक्ष्य नहीं देगा।

(।।) जहां उपविनियम (।) के अन्तर्गत कोई स्वीकृति दी गई है तो कोई निगम कर्मचारी ऐसे साक्ष्य देते हुए सरकार या निगम की किसी नीति या कृत्य की आलोचना नहीं करेगा।

(।।।) इस विनियम में निज़ पर कुछ भी लागू नहीं होगा:-

(क) संसद, राज्य विधानसभा, या निगम द्वारा नियुक्त प्राधिकरण के समक्ष एक जांच में साक्ष्य।

(ख) किसी न्यायिक जांच में दिया गया साक्ष्य ; या

(ग) निगम के अधीनस्थ प्राधिकरणों द्वारा किसी विभागीय जांच के आदेशों में दिया गया साक्ष्य।

राजनीति और चुनावों में भाग लेना

22. (1) कोई निगम कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन का सदस्य नहीं होगा जो राजनीति में हिस्सा लेता है और न ही किसी राजनैतिक आन्दोलन या गतिविधि में किसी अन्य तरीके से सहायता या भाग लेगा।

(2) यह प्रत्येक निगम कर्मचारी का कर्त्तव्य है कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन या गतिविधि जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार की स्थापित विधि या निगम के लिए विध्वंसक हो सकता है, में हिस्सा लेने या अन्य तरीके से सहायता करने या सदस्यता में भाग लेने से रोके। और जहां एक निगम कर्मचारी अपने परिवार के सदस्य को आंदोलन या गतिविधि में अन्य तरीके से सहायता करने या सदस्यता में भाग लेने से रोकने में असमर्थ है तो वह इस आशय की रिपोर्ट निगम को करेगा।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या एक दल राजनैतिक दल है या नहीं या क्या कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है या नहीं या क्या आंदोलन या गतिविधि उपविनियम (2) के दायरे में आती है? उसके लिए निगम का निर्णय अंतिम होगा।

(4) कोई निगम कर्मचारी किसी भी विधायिका या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में हिस्सा या इस सम्बन्ध में अपने प्रभाव का उपयोग, प्रचार या हस्तक्षेप नहीं करेगा।

बशर्ते कि :-

(।) एक मतदान के योग्य निगम कर्मचारी ऐसे निर्वाचन में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। परन्तु जहां वह मतदान करता है वह किसी भी तरीके से मतदान करने का प्रस्ताव या किसको मतदान किया है, का संकेत नहीं देगा ?

(।।) यदि उस समय लागू कानून के तहत या द्वारा सौंपे गए कर्त्तव्य के निर्वहन के दौरान वह एक चुनाव की प्रक्रिया में सहायता करता है तो उक्त निगम कर्मचारी द्वारा इस उपविनियम का उल्लघंन नहीं माना जाएगा।

व्याज़्या

एक निगम कर्मचारी द्वारा अपने व्यक्तिगत वाहन या घर पर किसी चुनावी प्रतीक को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे इस उपविनियम के तहत चुनाव के सज़्बन्ध में प्रभाव के बराबर माना जाएगा।

निगम कर्मचारियों के चरित्र और कृत्यों की पुष्टि

23 (।) निगम की पूर्व स्वीकृति के अलावा कोई निगम कर्मचारी अपने सरकारी कृत्यों की पुष्टि के लिए प्रैस या अदालत की शरण नहीं लेगा।

(।।) इस विनियम में दिया गया कुछ भी एक निगम कर्मचारी से निजी क्षमता में उस द्वारा किए गए कार्य या उसके निजी आचरण की सत्यता सिद्ध करने से नहीं रोकेगा और जहां उसके निजी आचरण की सत्यता के लिए यानि निजी क्षमता में उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए कोई कार्रवाई की गई है तो निगम कर्मचारी ऐसी कार्रवाई के सज़्बन्ध में विहित प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

निगम कर्मचारियों द्वारा संघो में शामिल होना

24. कोई निगम कर्मचारी ऐसे संघ का सदस्य नहीं बनेगा या बना रहेगा जिसका उद्देश्य या गतिविधि भारत की प्रभुत्ता और अखण्डता या सार्वजनिक कानून व्यवस्था या नैतिकता को क्षति पहुंचाती हो।

प्रदर्शन और हड़तालें

25. **कोई निगम कर्मचारी नहीं करेगा :-**

(।) किसी प्रदर्शन में हिस्सा या स्वयं भाग लेना जो भारत की संप्रभुत्ता और अखण्डता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सज़्बन्धों की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था शालीनता या नैतिकता के प्रतिकूल है या जिसमें अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध को बढ़ावा देना शामिल है या जिससे निगम द्वारा एक समुदाय के लिए आवश्यक उपयोगिता के रूप में प्रदान की गई सेवाओं या संचालन के बिगड़ने या तितर-बितर होने की सज़्भावना हो।

(।।) अपनी सेवा या अन्य दूसरे निगम कर्मचारी की सेवा से सज़्बन्धित किसी विषय में शारीरिक प्रतिबंध या उत्पीड़न की हड़ताल को बढ़ावा देना; या

(।।।) किसी कार्यकर्त्ता या दूसरे सरकारी/निगम कर्मचारी को उसके कार्यस्थल पर जाने से या उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों के निर्वहन से रोकना या प्रतिरोध करना।

व्याज़्या

'हड़ताल' का अर्थ है; कर्मचारियों के एक समूह या संगठन द्वारा कार्य को धीमा करना, कार्य में ठहराव या कार्य से इंकार करना और इसमें शामिल है:-

(क) कार्य से बिना अनुमति के बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति (जो ''सामूहिक आकस्मिक अवकाश'' के रूप में वर्णित है।)

(ख) ओवर टाईम कार्य करने से इंकार करना,जहां ऐसा ओवर टाईम कार्य जनता के हित में आवश्यक है।

(ग) ऐसा आचरण या कार्य करना, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य में बड़ी रूकावट या ठहराव की सज़्भावना है। ऐसे कार्यों में शामिल है; गो-स्लो,सिट-डाऊन, पैन-डाऊन, टोकन, सहानुभूति या कोई दूसरी ऐसी हडताल जैसे किसी ऐसे बंद या आंदोलनों में भाग लेने के लिए कार्य से अनुपस्थित ।

जो निगम कर्मचारी उपरोक्त ऐसे कोई कृत्य करता है वह इन विनियमों के विनियम-25 का उल्लघंन है और उसके लिए उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त हड़ताल की परिभाषा के अनतर्गत ली गई गतिविधियों की सूची केवल व्याज़्यात्क है और पूरी नहीं है। यह केवल वर्तमान में व्यवहार में लाई जाने वाली गतिविधियों की स्थिति को स्पष्ट करती है।

मादक पेय पदार्थो और दवाओं का सेवन

26. एक निगम कर्मचारी :-

(क) मादक पेय और दवाओं से सज़्बन्धित किसी भी कानून जो उक्त क्षेत्र में उस समय के लिए लागू है; का सज़्ती से पालन करेगा।

(ख) अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी प्रकार के मादक पेय और दवाओं के प्रभाव के अन्तर्गत नहीं होगा और इस बात का ध्यान भी रखेगा कि ऐसे पेय या दवा के प्रभाव से किसी भी समय किसी भी तरह से उसके कर्त्तव्य प्रभावित न हो।

(ग) एक सार्वजनिक स्थान पर कोई भी मादक पेय या दवा लेने से बचना होगा।

(घ) नशे की हालत में एक सार्वजनिक स्थान पर न आएं।

(ड.) किसी भी मादक पेय या दवा का अत्यधिक मात्रा में सेवन न करें।

व्याज़्या

इस विनियम के उद्देश्य के लिए 'सार्वजनिक स्थान' का अर्थ है कोई स्थान या परिसर (एक वाहन सहित) जो सार्वजनिक है या जहां आम जनता की चाहे भुगतान करके या अनुमति से पहुंच है।

द्वि-विवाह/व्यभिचार

27. (1) कोई निगम कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह या वैवाहिक बंधन नहीं बनाएगा जिसका दूसरा जीवित पति या पत्नी है।

(2) कोई निगम कर्मचारी जिसका जीवित पति या पत्नी है, किसी व्यक्ति के साथ विवाह या अनुबंध नहीं करेगा।

किन्तु निगम एक निगम कर्मचारी को अनुबंध या उपविनियम (1) या उपविनियम (2) में ऐसे किसी भी विवाह के रूप में अनुमति दे सकता है यदि वह संतुष्ट है कि :-

(क) ऐसे निगम कर्मचारी और विवाह की दूसरी पार्टी पर ऐसे विवाह को पर्सनल लॉ/लागू कस्टम के तहत अनुमति है।

(ख) ऐसा करने के लिए अन्य आधार है।

(3) कोई निगम कर्मचारी चाहे विवाहित है या नहीं, किसी भी व्याभिचार या एक व्यभिचारी तरीके से किसी कृत्य में, जिससे पब्लिक में निगम की साख या छवि प्रभावित होती है या बदनामी लाता है, संलिप्त नहीं होगा।

केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों/नियमों का अधिभावी प्रभाव

28. जब भी इन विनियमों के किसी प्रावधान में फैक्टरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मजदूरी के भुगतान का अधिनियम, इंडियन ट्रेड यूनियन अधिनियम या निगम में लागू किसी अन्य कानून या इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ विरोध होता है तो इन अधिनियमों द्वारा शासित कर्मचारियों के मामले में इन अधिनियमों और नियमों के प्रावधान अभिभावी होंगे।

व्याज़्या

29. यदि इन विनियमों की व्याज़्या से सज़्बन्धित कोई प्रश्न उठता है तो यह निगम को भेज दिया जाएगा जिस पर निगम का निर्णय अंतिम होगा।

शक्ति का प्रत्यायोजन

30. एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निगम ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे, अपने अधीनस्थ प्राधिकरण को इन विनियमों के किसी उद्देश्य के लिए निगम के कार्य करने की शक्ति दे सकता है।

निरसन और अपवाद

31. निगम द्वारा अपनाए गए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1984 को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

किन्तु ऐसे निरसित विनियमों के तहत की गई कार्रवाई या दिया गया कोई आदेश है, इन विनियमों या संगत प्रावधानों के तहत समझा जाएगा।

किन्तु ऐसा निरसन निरसित विनियमों के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा और उक्त विनियमों का किसी प्रकार का उल्लघंन उसी प्रकार दंडनीय होगा जैसे इन विनियमों का उल्लघंन किया गया हो।

अधीक्षक अभियंता (प्रशासन)
द.ह.बि.वि.नि., हिसार।

नोट :- कर्मचारी (आचरण) विनियमों के इस संस्करण का हिंदी अनुवाद मात्र निगम कर्मचारियों को इनके प्रति शिक्षित करने और उनको सरल भाषा में समझाने/जानकारी देने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिन्दी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा और अंग्रेजी व हिन्दी संस्करण के बीच किसी अर्थ या भाव में विरोधाभास की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।

(निगम सेवा में प्रवेश के समय की गई घोषणा)

घोषणा

जबकि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कर्मचारी (आचरण) विनियम-2006 के विनियम-7 के प्रावधान से मुझे स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है ;

और जबकि दिनांक पर मैं अविवाहित हूं ;

अब, इसलिए एतद् द्वारा मैं. . . . . वचन देता हूं कि

(क) दहेज देने या लेने को बढ़ावा देना या दहेज लेना या देना ; या

(ख) दूल्हे या दूल्हन के माता-पिता या संरक्षक जैसा भी मामला हो, से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की कोई मांग; नहीं करूंगा।

एन.बी.; 'दहेज' का वहीं अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में है।

मैं पूरी तरह समझता हूं कि दहेज देने या लेने को बढ़ावा देने या दहेज लेने या देने से सम्बन्धित कानून और नियमों का कोई उल्लघंन सिद्ध होने पर मैं उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई का उत्तरदायी हूंगा।

स्थान :

हस्ताक्षर . . . .
नाम बड़े अक्षरों में
पद
कार्यालय का नाम

प्रति :

(माता-पिता/संरक्षक का नाम)
पता :

(पुरूष निगम कर्मचारियों द्वारा विवाह उपरांत की जाने वाली घोषणा)

जबकि मेरा. . . . . (विवाह की तिथि), को विवाह हुआ।

अब, इसलिए, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारी आचरण विनियम-2006 के विनियम-7 के प्रावधान के सञ्बन्ध में, मैं(. . . . . .निगम कर्मचारी का नाम) घोषणा करता हूं कि मैंने न तो दहेज लिया है और न ही दहेज लेने या देने को कोई बढ़ावा दिया है। यह घोषणा मेरी पत्नी, पिता और ससुर द्वारा भी हस्ताक्षरित की गई है।

नोट : <u>यदि घोषणा की तिथि को पिता या ससुर या दोनों जीवित नहीं है, केवल तब की जाने वाली घोषणा</u>

मेरी घोषणा और कथन है कि मेरा पिता/मेरा ससुर/मेरे पिता/ससुर दोनों जीवित नहीं हैं

स्थान :

हस्ताक्षर . . . .
नाम बड़े अक्षरों में
पद
कार्यालय का नाम

1. पिता के हस्ताक्षर. . . . . .
2. पत्नी के हस्ताक्षर. . . . . .
3. ससुर के हस्ताक्षर. . . . . .

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कर्मचारी (आचरण), 2006 के विनियम-11 के अन्तर्गत चल सञ्पत्ति के लिए घोषणा प्रपत्र।

निगम कर्मचारी का नाम और पद. . . . . .

पता. . . . . .

(दिनांक). . . . . को वक्तव्य दिया गया

(क) (1) नकद, आभूषण, ठोस सोना या चांदी, बैंक में जमा राशि, बीमा पॉलिसियां, शेयर, प्रतिभूति और ऋणपत्र ।

(2) मोटर कार, मोटर साईकिल, स्कूटर, साईकिल, घोड़े और/या यात्रा का कोई अन्य साधन।

(3) फ्रिज,टेलिविजन सेट, संगीत सिस्टम, कञ्पयूटर, मोबाईल फोन, माइक्रोवेव ओवन, हस्तचलित/कैमरा, चाहे डिजीटल है या टेपरिकॉर्डर, स्टीरियों, घड़ियां आदि।

(4) दुधारू मवेशी

क्रमांक संञ्या	मदों का विवरण	मूल्य	निगम कर्मचारियों के परिवार का सदस्य और बेनामी का नाम (यदि कोई है, जिसके नाम परिसञ्पत्ति है)	वर्ष के दौरान नये अधिग्रहण का तरीका और तिथि	टिप्पणीयां
1	2	3	4	5	6

(ख) अग्रिम लोन, चाहे सुरक्षित है या नहीं, यदि सुरक्षित है तो सुरक्षा की प्रकृति उदाहरणतय: आभूषण, साधारण शपथ-पत्र या कब्जा रहित या कब्जा सहित गिरवी विल्लेख।

क्रमांक संञ्या	लोन की राशि	यदि लोन सुरक्षित है तो उसके अनुमानित मूल्य के साथ सुरक्षा की प्रकृति	निगम कर्मचारियों के परिवार के सदस्य का नाम जिसने अग्रिम ऋण लिया है	कर्जदार का नाम विवरण सहित	ऋण के अन्य विवरणों सहित दिनांक	टिप्पणीयां
1	2	3	4	5	6	7

नोट :- 'निगम कर्मचारियों के परिवार के सदस्य' की अभिव्यक्ति की व्याञ्या दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कर्मचारी (आचरण) विनियम, 2006 के विनियम-3 (3) की परिभाषा के अनुसार की जाएगी।

निगम कर्मचारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-4

(विनियम-11 में निर्दिष्ट)

. . . . द्वारा स्वयं और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा रखी गई अचल सज़्पत्ति की दिनांक. . . . . को की गई घोषणा।

नोट :-

(1) जमीन में सभी स्थायी प्रकृति के सरोकार चाहे स्वामित्व, गिरवी या वंशानुगत, कब्जा या शहरों में रिहायशी मकान; दर्ज किए जाने चाहिएं।

(2) ''दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कर्मचारी (आचरण) विनियम, 2006'' के विनियम 3 (3) में उल्लेखित निगम कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों और प्रत्येक की अर्जित की गई सज़्पत्ति को दर्शाया जाए। यदि अर्जित बेनामी है तो बेनामीदार का नाम अलग से चिंहित किया जाना चाहिए।

किस जिला, तहसील और गांव में स्थित है	जायदाद का क्षेत्र व मूल्यांवन सहित विवरण	कैसे और कब अधिग्रहित की गई (उत्तराधिकार,में मिली या खरीद द्वारा)

निगम कर्मचारी का पद और हस्ताक्षर